राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि0,
4, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302001

फोन.न. 141-2740203, 141-2740684
Email ID: rrskvsindanegas@gmail.com

घरेलू एवं अघरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के लिए परिवहन/वितरण हेतु परिवहनकर्ता/फर्मो एवं संवेदको की दर संविदा हेतु ई–बिड सूचना

वर्ष 2023–24 में शहर के घरेलू एवं अघरेलू गैस आपूर्ति के लिए परिवहन/वितरण कार्य किया जाना है। इसके अन्तर्गत जयपुर मे विभिन्न ऐजेंसियों से उपभोक्ता तक घरेलू/अघरेलू गैस सिलेण्डर वितरण एवं खाली सिलेण्डर वापिस ऐजेन्सी के गोदाम में रखने हेतु परिवहन कार्य किया जाना है। इस कार्य को करने हेतु इच्छुक फर्मो/परिवहनकर्ता/संवेदकों द्वारा वितरण कार्य दर संविदा द्विप्रकृमी बोली (टू–बिड) प्रणाली से ऑनलाईन किया जाना हैं। इस हेतु ई–बिड आवेदन पत्र **दिनांक 21–03–2023** तक प्रस्तुत किये जाने है। आवेदन पत्र का प्रारुप, वितरण कार्य का विवरण एवं कार्य की शर्ते तथा अन्य विवरण **दिनांक 11–03–2023** से राजकीय पोर्टल वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in, https://sppp.rajasthan.gov.in एवं व राजफैड की वेबसाईट https://rajfed.in पर देखें। संशोधन/शुद्धि पत्र भी वेबसाईट पर दिया जावेंगा। आवेदन पत्र व शर्त उक्त वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

इंचार्ज गैस

<u>राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि0,</u>
4, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302001

फोन.न. 141-2740203, 141-2740684
Email ID: rrskvsindanegas@gmail.com

क्रमांकः गैस / 2023–2024 / 2007 दिनांकः **10-03-2023**

<u>ई–बिड</u>

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए राजफैड की गैस ऐजेन्सी के उपभोक्ताओं को घरेलू एवं अघरेलू गैस सिलेण्डर वितरण कार्य हेतु ऑन–लाईन ई–बिड आमांत्रित की जाती हैं। निविदा की तिथि, समय शर्ते एवं अन्य जानकारी हेतु **दिनांक 11–03–2023** से वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in, https://sppp.rajasthan.gov.in एवं https://rajfed.in पर देखी जा सकती है। संशोधन / शुद्धि पत्र भी इन्हीं वेबसाईट पर दिया जायेगा।

इंचार्ज गैस

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि0,

घरेलु एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के लिए परिवहन/वितरण हेतु ई–बिड़

Critical Dates

S. No.	Particulars	Date
1.	**Estimated Cost (Rs.in lacs)**	**30.00 Lac**
2.	Earnest Money DD/Banker Cheque in favour Of R.R.S.K.V.S , Jaipur	1 Lac for Domestic Cylinder 1 Lac for Non Domestic Cylinder
3.	E-Tender Processing Fee. DD/Bankers Cheque in Favor of MD, RISL, Jaipur	Rs.500.00/-
4.	Tender form fees DD in favor of R.R.S.K.S, Jaipur.	Rs.1000.00 + 18% GST Total Rs.1180.00/-
5.	Date of publishing Notice Inviting Bids and Bidding Document on State Public Procurement Portal	2023-03-11
6.	Date from which Bidding Document will be provided from the web-site of RRSKVS, JAIPUR i.e.www.rajfed.in_or can be downloaded from e-procurement Portal or State Public Procurement Portal	2023-03-11
7.	Date upto which queries for clarifications on Bidding Document can be sent to Managing Director, Rajfed, Jaipur e-mail: rrskvsindanegas@gmail.com	2023-03-19
8.	Last date and time upto which Bids can be submitted/ uploaded on e-procurement Portal website : www.eproc.rajasthan.gov.in	2023-03-21 up to 01PM
9.	Date and time of opening of Technical bid for ragistration of bidders	2023-03-21, 4:30PM
10.	Financial bid shall be open after evaliution of Technical bid	2023-03-21,after 4.40PM
11.	Bid Validaty	30 Days

Incharge (Gas)

Signature of the Applicant
In Acceptance of the abobe

RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.

BANK DETAILS FOR ALL THE FINANCIAL TRANSACTION RELATED TO THIS TENDER

Head Office	**RAJFED JAIPUR**
Name	**Rajasthan Rajya Sahkari Kraya Vikraya Sangh Ltd. GAS Section**
Account No.	**912010033199149**
Bank Name.	**Axis Bank,Jaipur**
IFSC Code.	**UTIB0000010**
Barnch Name.	**O-15,Green House,Ashok Marg, C-Scheme, Jaipur-302001**

ई–बिड से संबंधित समस्त विवरण,शर्ते व संशोधन/शुद्धि पत्र प्रपत्र निचे दिये गए पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

https://eproc.rajasthan.gov.in,

https://sppp.rajasthan.gov.in

https://rajfed.in

इंचार्ज गैस

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि0,

4, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302001

घरेलू एवं अघरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के लिए परिवहन/वितरण हेतु ई–बिड

तकनीकी बिड

आवेदन पत्र के साथ तकनीकी बिड के मूल्यांकन हेतु निम्नआवश्यक प्रपत्रों की (चैक लिस्ट) सूची

कंसं	विवरण	ई–बिड कवर	पेज क्र.सं.
1.	घरेलू एवं अघरेलू गैस सिलेण्डरों हेतु बिड सिक्योरिटी के संबंध में संलग्न पारिशिष्ट''अ'' पर निधार्रित घोषना पत्र रुपये 100/–रू. के स्टाम्प पर संलग्न करना है।	कवर–ए	
2.	बोली दस्तावेज का मूल्य 1000+GST 18 प्रतिशत रू. 180/– जीएसटी,कुल राशि 1180 रु. का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक आर. आर.एस.के.वी.एस के पक्ष में देय होगा।	कवर ए	
3	बिड प्रोसेसिंग फीस राशि 500/– को बैक ड्राफ्ट/बैंकर चैक आर.आई.एस.एल जयपुर के पक्ष में देय होगा।	कवर ए	
4	आयकर स्थायी खाता (पैन कार्ड) की फोटो प्रति।	कवर–ए	
5	जीएसटी पंजीयन की फोटो प्रति	कवर–ए	
6	आधार कार्ड एवं वोटर आई.डी.की प्रति	कवर–ए	
7	ई.एस.आई के पजीयन की फोटो प्रति अथवा आवेदन के साक्ष्य की प्रति	कवर–ए	
8	बिजली के बिल की प्रति	कवर–ए	
9	दो सम्मानित व्यक्तियों से सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र	कवर–ए	
10	यदि साझेदार फर्म है तो साझेदारी प्रपत्र की प्रति एवं फर्म द्वारा अधिकृत व्यक्ति का अधिकार पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक ळें	कवर–ए	
11	गैस वितरण हेतु स्वंय के साधन काविवरण (वाहन के पंजीकरण की फोटो प्रति) संलग्न करें।	कवर–ए	
12	बोली लगाने वाला सत्यनिष्ठ संहिता की अनुपालना एवं हित का विरोध नही होने का प्रपत्र (परिशष्ट–ब)	कवर–ए	
13	बोलीदाता की अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति	कवर–ए	
14	उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण प्रक्रिया (परिशष्ट–स)	कवर–ए	
15	अनुबन्ध की अतिरिक्त शर्ते (परिशष्ट–द)	कवर–ए	
16	जयपुर शहर की गैस एजेन्सियों से उपभोक्ता तक सिलेण्डरों का वितरण एवं खाली सिलेण्डर वापिस ऐजेन्सी के गोदाम में जमा कराने हेतु घरेलू एवं अघरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हेतु परिवहन/वितरण की प्रस्तावित दरों का विवरण(पृथक–पृथक) (BOQ) पत्र।	कवर बी	
17	वितीय प्रस्तावों की निर्धारित शर्तें (परिशष्ट–'क')		

<u>राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि0,</u>
4, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302001

फोन.न. 141-2740203, 141-2740684
Email ID: rrskvsindanegas@gmail.com

<u>घरेलू एवं अघरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के लिए परिवहन/वितरण हेतु ई–बिड के लिये आवेदन पत्र</u>

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.,
4, भवानी सिंह रोड़, जयपुर 302001
राजस्थान।

महोदय,

मैंने/हमने गैस ऐजेन्सी से उपभोक्ता तक एवं खाली सिलेण्डर वापिस ऐजेन्सी गोदाम तक घरेलू एवं अघरेलू गैस सिलेण्डर के परिवहन कार्य हेतु बिड के लिए आप द्वारा जारी किया गया आमंत्रण पत्र, दिशा–निर्देश एवं शर्तो (टर्म्स एंड कंडीशनस) को पढ़ व समझ लिये है। मै/हम इन सभी दस्तावेज की शर्तो को मानने के लिए बाध्य हूॅ।/है। **मैं/हम जयपुर शहर के लिए वितरण कार्य के लिए** आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूॅ।

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

दिनांकः———————————————

फर्म/आवेदक का नाम———————

पता———————————————
———————————————————

<u>ठेकेदार/परिवहनकर्ता/फर्म का विवरण</u>

<u>1. कारोबार का नाम :–</u>

1. यदि आवेदनकर्ता एकाकी स्वामी (सोल ....
   प्रोपराईटर है तो स्वामी का नाम ....
   पिता के नाम सहित) ....
2. यदि आवेदकर्ता अविभक्त हिन्दू परिवार है तो
   परिवार के कर्ता का नाम ....
3. शैक्षणिक योग्यता
   (प्रमाण पत्र प्रति संलग्न करें।) ....

<u>2. यदि आवेदनकर्ता भागीदारी संस्था (पार्टनरशीप फर्म) है तो :</u>

(अ) फर्म का नाम ....

(ब) रजिस्ट्रेशन का पूरा नाम ....

(स) भागीदारी के नाम,पते ....

(भागीदारी के दस्तावेज,पार्टनरशिप डीड की
फोटो स्टेट प्रतिलिपि संलग्न करें।)

<u>3. यदि आवेदनकर्ता सहकारी संस्था है तो :</u>

पंजीयन के प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की
प्रतिलिपि तथा इस कार्य के करने के अधिकार हेतु
इस समिति के प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न की जावें :–

<u>4. गैस वितरण हेतु स्वंय के साधन का विवरण</u>

(वाहन पंजीकरण की फोटो प्रति संलग्न करें)

<u>5. वितरण वाहन का पंजिकरण जनवरी, 2011 के पश्चात अवधि का होना चाहिये</u>

<u>6. स्थानीय पता :–</u>

1. डाक का पूरा पता(फोटो प्रति संलग्न करें।) ....
2. दूरभाष/मोबाईल संख्या (कार्यालय) ....

(निवास) एस.टी.डी. (कोड सहित) ....

<u>7. (अ) आयकर स्थाई खाता संख्या (पैन संख्या.)</u> ....

(पैन संख्या की छाया प्रति संलग्न की जाए)

(ब) वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति(आवश्यक) ....

(स) जी.एस.टी. पंजीयन सख्या ....

(जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण –पत्र की छाया प्रति

अथवा आवेदन के साक्ष्य की राशि की प्रति) ....

(द) ई.एस.आई रजिस्ट्रेशन नम्बर

ई.एस.आई पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति अथवा आवेदन के साक्ष्य की प्रति

8. घरेलू गैस सिलेण्डर की रु.1.00 लाख राशि (अर्नेस्ट मनी) आर.आर.एस.के.वी.एस. जयपुर के पक्ष में देय ड्राफ्ट/बैकर चैक नम्बर .... दिनांक .... बैंक का नाम...................राशि.................. की फोटो प्रति तथा निष्पादित प्रतिभूति कार्य निष्पादन से पूर्व जमा करानी होगी।

9. अघरेलू गैस सिलेण्डर की रू.1.00 लाख सुरक्षा राशि (अर्नेस्ट मनी) आर.आर.एस.के.वी.एस. जयपुर के पक्ष में देय ड्राफ्ट/बैकर चैक नम्बर .... दिनांक .... बैंक का नाम...................राशि.................. की फोटो प्रति तथा निष्पादित प्रतिभूति कार्य निष्पादन से पूर्व जमा करानी होगी।

10. बिड हेतु आवेदन प्रपत्र मूल्य राशि 1000+GST 18 प्रतिशत = 1180 रू. का ड्राफ्ट/बैंकर चैक नम्वर............................दिनांक.................बैंक का नाम.....................आर. आर.एस.के.वी.एस जयपुर एवं आर.आईएस.एल जयपुर के पक्ष में बिड प्रोसेसिंग फीस राशि रु. 500 का ड्राफ्ट/बैंकर चैक नम्बर......................दिनांक...................बैंक का नाम....... .... की फोटो प्रति अपलोड कर दी गई। मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक सम्बन्धित आर.आर.एस.के.वी.एस जयपुर.................. में बिड खालने के समय से पूर्व जमा करा दिया जायेगा।

नोटः 1–आप पर जो मद लागू हो,उस पर सही का चिन्ह लगाकर दरें अंकित कर अपने हस्ताक्षर कर दे और जो लागू नही होती हों उसे काटदे। कृपया कोई भी कॉलम खाली न छोडें। कॉलम खाली होने पर निविदा के निस्तारण का निर्णय गैस प्रभारी में निहित रहेगा।

दिनांकः–––––––––––––––––––

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

फर्म/आवेदक का नाम
पताः

परिशिष्ट– 'अ'

बिड सिक्योरिटी घोषणा पत्र

दिनांकः.............................

बिड संख्याः
————————————————
————————————————

हम घोषणा करते है कि :आपकी नियम व शर्तों एवं बिड के साथ संलग्न बिड सिक्योरिटी घोषना पत्र अनुसार, इस बिड में शामिल शर्तों के अनुसार बिड सिक्योरिटी राशि निम्न कारणों से चुकाने की सहमति देते हैं –

a) यदि बिड खुलने के पश्चात हमारे द्वारा बिड वापस लेने अथवा संशोधन करने पर।
b) कार्यादेश जारी होने की निधार्रित अवधि में हमारे द्वारा करार पत्र निष्पादन नहीं कराने पर।
c) निर्धारित अवधि में हमारे द्वारा माल की आपूर्ति में असहमत होना अथवा आई.ओ.सी. के जारी निर्देशों की पालना नही करना।
d) कार्यादेश प्राप्त होने पर करार पत्र निष्पादन के साथ निर्धारित कार्य निष्पादन प्रति भूति जमा नही करानें पर।
e) नियमानुसार संलग्न सत्यनिष्ठ संहिता का उल्लंधन/हित का विरोध नही होने का प्रमाण पत्र की पालना नही करने पर।

उपरोक्त के अतिरिक्त,राजफैड(गैस शाखा) द्वारा हमें किसी भी उपापन/आपूर्ति प्रक्रिया से अधिकतम 3 वर्षों के लिए बाहर/ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है एव बिड सिक्योरिटी/निष्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकती है। बिड सिक्योरिटी घोषणा पत्र खत्म होगा, यदि–

1. यदि हम बिड में सफल नही होते है।
2. यदि करार पत्र अनुसार सफल बिड के रुप में कार्य संतुष्टि के आधार पर।
3. हमारी बिड अवधि खत्म होने के 30 दिन में।
4. उपापन/आपूर्ति बिड प्रक्रिया निरस्त होने पर।
5. बिड जमा कराने की तारीख से पूर्व,बिड वापस लेने पर,जबतक कि ऐसे बिड दस्तावेज वापस न लेने की सीमा निर्धारित हो।

हस्ताक्षर बिडदाता————————————
नामः ——————————————————
सीलः ————————— पद—————————
दिनांकः ————————————————

Compliance with the Code of Intergrity and No Conflict of Intrest

Any person perticipating in a procurement process shall-

A. Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
B. Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to Obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
C. Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
D. Not misuse any information shared between the procuring Entity andthe Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
E. Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
F. Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
G. Disclose conflict of intrest, if any; and
H. Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other county during the last three years or any debarment by any other procuring entity-

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities; contractual obligations; or compliance with applicable laws and regulations A Bidder may be consider to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

A. have controlling partners shareholders in common; or

B. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;or

C. have the same legal representative for purposes of the the Bid; or

D. have a relationshio with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

E. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the Disqualification of all bids in which the Bidder is involved. However, this Does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise Participating as a Bidder, in more than one Bid; or

F. the Bidded or any of its affliliates participated as a consultand in the preparation of the design or technical specifications of the of the Goods, that are the subject of the Bid; Breach of Lode of Integrity by the Bidders bidder in case of breach of any provision of the code of integrity by a bidder or prospective bidder, as the case maybe, rajfed may take appropriation action in accordance with the provisions of sub section(3) of section IInd and section 46 under chapter
VIth of this Act

Signature of Bidder

Grievance Redressal during Procurement Prosess

The designation and address of the First Appellate Authority is M.D. Rajfed, Jaipur.

The designation and address of the Second Applellate Authority is administractor Cooperative Societies Govt.of Rajasthan, jaipur,

1. **Filling an appeal**

   If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to first Applellate Authority, as specified in th Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission,as the case may be,cleary giving the specific ground or ground on which he feels aggrieved:

   provided that after the declaration of a Bidder as successful theappeal may be filed only by a Bidder who has participated inprocurement proceedings:

   provided further that in case a procuring Entity evaluates theTechnical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal Related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder Whose Technical Bid is found to be acceptable:
2. The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with The appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to Dispose it of within thirty days from the date of the appeal,
3. If the officers designated under papa (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or prospective bidder or the procuring Entity. as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para(2) or of the date of recipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
4. A

Signature of Bidder

<u>परिवहन निविदा की शर्ते</u>

1. निविदा **दिनांक 21–03–2023** को **1.00 बजे तक भरी जावेगी** एवं इसी दिन सायंकाल 4:30 बजे खोली जावेंगी।
2. प्रत्येक परिवहनकर्ता के आवेदन फार्म के साथ घरेलू सिलेण्डर हेतु 1.00 लाख रू. व अघरेलू सिलेण्डर हेतु 1.00 लाख रू. अर्नेस्ट मनी राशि का बैंक ड्राफट/बैंकर चैक आर.आर.एस.के.वी.एस., जयपुर के नाम एवं बोली दस्तावेज का मूल्य 1180 रु. का बैंक ड्राफट/बैंक चैक आर.आर.एस.के.वी.एस., जयपुर के पक्ष मे तथा बिड प्रोसेसिंग फीस राशि रु. 500 का ड्राफट/बैंकर चैक एम.डी.आर.एस.आई.एस.एल, जयपुर के पक्ष में जमा कराना होगा। स्वीकृत परिवहनकर्ता को अनुबन्ध के पूर्व घरेलू गैस सिलेण्डर की 1.00 लाख रु. एवं अघरेलू गैस सिलेण्डर हेतु 2.00 लाख रु. की किसी बीमा कम्पनी से राजफैड के पक्ष में फिडिलिटि गारण्टी देनी होगी, जमा राशि पर राजफैड द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
3. किन्हीं दो अलग–अलग सम्मानीय व्यक्तियों सें सत्यापित चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना होगा।
4. प्रत्येक परिवहनकर्ता को अनुभव प्रमाण पत्र के रुप में किसी गैस ऐजेन्सी का एक वर्ष का वितरण कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा।
5. प्रत्येक परिवहनकर्ता को हिन्दी में लिखने पढने का ज्ञान आवशयक है।
6. प्रत्येक परिवहनकर्ता को नियुक्ति किये गये डिलीवरी मेन को इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित वर्दी में वितरण कार्य करना होगा एवं राजफैड के द्वारा दिये गये परिचय पत्र एवं स्वंय का मोबाईल फोन साथ मे रखना होगा आई..ओ.सी.द्वारा निर्धारित वर्दी ,तोलने का कांटा,मोबाईल फोन एवं फॉयर इक्यूमेन्ट गाडी में डिलीवरी मैन के स्वयं के खर्चे पर रखना आवश्यक होगा।
7. डिलीवरी मैन द्वारा रखे गये कर्मचारी को इण्डियन ऑयल द्वारा निधारित वर्दी मे आना होगा तथा परिचय पत्र, कांटा एवं मोबाईल चालु हालत में साथ रखना होगा एवं इसकी सूचना राजफैड को देनी होगी। राजफैड द्वारा इस सबंध में कोई भुगतान देय नही होगा।
8. निविदा आवेदन पत्र पर एक नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो लगानी होगी।जो कि राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करानी होगी।
9. यदि आवेदनकर्ता को किसी भी एजेन्सी द्वारा किसी गलत कार्य हेतु आरोपित किया गया है तो ऐसे व्यक्ति आवेदन नही करें यदि करते है एवं तथ्य का राजफैड को पता चलता है तो सिक्योरिटी राशि जब्त करली जावेगी एवं अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
10. परिवहनकर्ता द्वारा प्रतिदिन 30 सिलेण्डर से अधिक घरेलू सिलेण्डर की सप्लाई करनी होगी।

11. परिवहनकर्ता द्वारा प्रति माह 25 गैस सिलेण्डर से अधिक अघरेलू सिलेण्डर की सप्लाई करनी होगी।

12. प्रत्येक परिवहनकर्ता को इण्डियन ऑयल राजफैड के द्वारा समय पर जारी किये गये निर्देशो की पालनाकी जानी होगी।
13. सिलेण्डर को पंजीकृत उपभोक्ता के स्थान पर किसी अन्य के यहॉ लगाने पर प्रति सिलेण्डर 1000 रु. अर्थदण्ड देना होगा।
14. एक माह में तीन बार से अधिक उपरोक्त क्र.सं 12 के अनुसार गलती दोहराने पर अनुबन्ध समाप्त करने एवं सिक्योरिटी राशि जब्त करने का अधिकार राजफैड का होगा।
15. आई.ओ.सी द्वारा कभी भी जॉच करने पर किसी भी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर लगाये जाने वाले दण्ड को परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।(जैसे डम्पिग,कम तौल और लीकेज आदि) दण्डित राशि की वसूली में परिवर्तन करने का अधिकार राजफैड को होगा।
16. रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा पोईन्ट पर चैकिंग की जाने पर लगाई जाने वाली दण्डनीय शास्ती एवं अन्य कोई कार्यवाही के लिए भी परिवहनकर्ता उत्तरदायी रहेगा। एवं भविष्य के लिए राजफैड द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जावेगा।
17. संघ के गैस गोदाम से प्राप्त गये 14.2 किग्रा एवं 19.0 किग्रा एल.पी.जी के भरे सिलेण्डर को संघ को सौपनें तक परिवहनकर्ता द्वारा अपनी जिम्मेदारी में बतौर अमानत सुरक्षित रखें जावेंगें।सिलेण्डर गुम हो जाने पर परिवहनकर्ता से प्रति घरेलू सिलेण्डर 3200/= वाणिज्यिक राशि 4000 रु. वसूल किये जायेंगे।
18. वितरण के लिये प्राप्त किये जाने वाले खाली एल.पी.जी सिलेण्डरो के नम्बर मिलाकर (चैक कर) प्राप्त किये जावेंगे एवं बदले में प्राप्त खाली सिलेण्डर केनम्बर लिखकर कार्यालय में सिलेण्डरों की प्राप्त के साथ पर्ची व कूपन जमा करानी होगी।
19. राजफैड द्वारा जो रिफिल परिवहनकर्ता को दी जावेगी वह उसी दिन अथवा अधिक से अधिक अगले दिवस गैस उपभोक्ता के सामने सील चैक करवाकर एवं गैस लीक/सही वजन की जॉच कराकर सही हालत में लगानी होगी अन्यथा खराब हालत में लगाने व देरी होने की स्थिति में होने वाली हानि की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
20. खाली सिलेण्डरों के नम्बर मिलान कर लिखकर गोदाम कीपर को संभलवाना होगा एवं गैस बिक्री की सम्पूर्ण राशि कार्यालय मे अगले दिन 11 बजे तक जमा करानी होगी। राशि समय पर जमा न कराने की तिथि में परिवहनकर्ता की जमा सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी। यदि फिर भी परिवहनकर्ता की ओर बकाया रह जाती है तो अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार वसूली की जावेंगी।

21. सिलेण्डर गोदाम से प्राप्त करने के पश्चात एक स्थान पर इक्टठे नही किये जावेंगे एवं प्रत्येक उपभोक्ता के निवास स्थान पर जाकर सिलेण्डर वितरण कार्य किया जावेगा।
22. पंजीकृत उपभोक्ता को सप्लाई देकर ब्ल्यू बुक में प्रविष्टि अनिवार्य होगी,साथ ही प्राप्ति रसीद उपभोक्ता से हस्ताक्षरित प्राप्ति रसीद के प्राप्त कूपन संलग्न कर लौटाना होगा।
23. ब्ल्यू बुक मे प्रविष्टि अनिवार्य होगी यदि ब्ल्यू बुक में 3 प्रविष्टि नही पायी जाती है तो प्रत्येक के लिये 200 रु.अन्य शास्ती के अलावा वसूल किये जावेंगे।
24. सिलेण्डर सही स्थिति में यथा जॉच कर तौलकर उपभोक्ता के यहॉ अपने साधन से सप्लाई किये जावेंगे व तौलने के लिये तुलाई हेतु इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित उपकरण परिवहनकर्ता का स्वंय का होगा।
25. परिवहनकर्ता के द्वारा स्वंय का एवं परिवहन कार्य नियुक्त किये गये डिलीवरी मैन को नाम एवं पता चरित्र प्रमाण पत्र, फोटो एवं मोबाईल नम्बर आदि का विवरण दिया जाना होगा।
26. प्रत्येक ठेकेदार को आंवंटित क्षेत्र में बदलाव का अधिकार गैस इंचार्ज के विवेक पर निर्भर होगा।
27. गैस वितरण का कार्य राजफैड–द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो के अनुसार निर्धारित समयावधि में किया जावेगा।
28. सिलेण्डर सप्लाई के उपयोग में लिये जाने वाले वाहन पर इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित रंग होगा एवं शब्द अंकित रहेगें। जो अपने कि खर्चे पर गाडी का निर्धारित समय पर पोल्युशेन एवं फिटनेस जॉच करवाना अनिवार्य होगा।
29. परिवहन कार्य हेतु प्राप्त किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक राजफैड का रहेगा।
30. परिवहन कार्य हेतु किये जाने वाले अनुबंध की किन्ही शर्तो की पालना में उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में निपटारे हेतु न्यायालय का कार्य क्षेत्र जयपुर होगा। सिक्योरिटी राशि वाद का निपटारा होने पर ही लौटायी जायेगी।
31. राजफैड द्वारा परिवहन कार्य भुगतान की जाने वाली राशि में से नियमानुसार आयकर व अन्य लागु करों की कटौती की जावेंगीं।
32. 32– यदि परिवहनकर्ता को गैस वितरण मे अनियमितता करने पर इण्डियन ऑयल,जिला रसद अधिकारी,पुलिस अधिकारी एवं जिला प्रशासन के द्वारा दोषी पाया गया तो ऐसी स्थिति में होने वाली कानूनी कार्यवाही के लिये परिवहनकर्ता स्वंय जिम्मेदार होगा। इस हेतु देय कानूनी फीस परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी।
33. यदि किसी कारणवश परिवहनकर्ता वितरण कार्य हेतु स्वंय उपस्थित नही हो सकता है तो पूर्व में राजफैड गैस प्रभारी को सूचित करते हुये वैकल्पिक व्यवस्था के रुप में अन्य किसी दूसरे परिवहनकर्ता की व्यवस्था करेगा। जिसकी पूरी जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

34. गैस वितरण कार्य करने की अवधि अनुबन्ध की दिनांक से एक वर्ष की होगी। राजफैड द्वारा इस अवधि को पारस्परिक सहमति से एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
35. कार्य अवधि से पूर्व छोड़ने अथवा कार्य में अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेंगी।
36. अघरेलू/वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर शब्द का जहॉ भी इस निविदा में प्रयोग हुआ है, उससे तात्पर्य 19.0 के.जी. अघरेलू गैस सिलेण्डर से हैं।
37. शर्ते अनुबन्ध के अनुसार लागू होंगी, जिसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकारी राजफैड में निहित होगा।
38. उक्त शर्तो की सहमति बाबत 500 रु.के नानॅ–ज्यूडिसियल स्टॉम्प पेपर पर राजफैड के साथ स्वंय के खर्चो पर अनुबन्ध किया जाना होगा। मूल अनुबन्ध राजफैड के पास रहेगा एवं परिवहनकर्ता को उसकी फोटो प्रति दी जावेंगी।

हस्ताक्षर परिवहनकर्ता

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि0,

4, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302001

घरेलू एवं अघरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के लिए परिवहन/वितरण हेतु ई–बिड

वित्तीय बिड

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि0,
4, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302001

फोन.न. 141-2740203, 141-2740684
Email ID: rrskvsindanegas@gmail.com

कार्य का विवरण – घरेलू एवं अघरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के लिए परिवहन

परिवहनकर्ता / ठेकेदार / फर्म का नाम ....

प्रस्तावित दर प्रति सिलेण्डर

विवरण	14.2 कि.ग्रा.(घरेलू)	19.0 कि.ग्रा.(अघरेलू)
सिलेण्डर गैस एजेन्सी से उपभोक्ता को वितरण एवं खाली सिलेण्डर उपभोक्ता से गैस एजेन्सी गोदाम तक पहुंचाने का कार्य परिवहन / वितरण दर(अक्षरों में)	अंकों में....... शब्दों में.......	प्रतिशत अंकों में....... शब्दों में.....

(*) कृपया दर प्रस्तावित करने से पूर्व निम्न शर्तो को आवश्यक रुप से पढ़ कर एवं समझ कर आवेदन पत्र में दर प्रस्तावित की जावें। प्रस्तावित दर में कोई भी संशोधन / कॉट छॉट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती हैं प्रस्तावित दरों में अंकों एवं शब्दों में अन्तर होने पर शब्दों में लिखी गयी दर को ही अंतिम माना जावेंगा।

(*) घरेलू गैस सिलेण्डर के साथ–साथ अघरेलू गैस सिलेण्डर की निविदा भरना अनिवार्य हैं अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेंगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

शर्त का विवरण संलग्न हैः–

पी.टी.ओ.

<u>अनुबंध पत्र</u>

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक .... श्री ....

पुत्र श्री.. निवासी ....

....

प्रथम पक्ष परिवहनकर्ता

<u>बहक</u>

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि., भवानी सिंह, रोड जयपुर राजस्थान। के हित में निम्न प्रकार लेखबद्ध किया जाता है।

द्वितीय पक्ष

RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR (GAS SECTION)

THANK YOU

Contact No. 0141-2740203 0141-2740684
e-Mail ID rrskvsindanegas@gmail.com